

GOVT. OF BIHAR  
Registration & Practice Deptt  
PATNA SCORE, PATNA

COURT "द्वारा २८"

(नियम ४ के देखि) अधिकारी का नाम  
Authorisation No. 2916

भारत



STAMP DUTY  
00000

प्रमाणित  
प्रक्रिया

Rs. 3 26 3 2014  
3.75  
INDIA

9892 5429507



30, यूना (ग्राम)

निवासन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) लैटी (सदन का नाम) के लिए  
निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथधर्म

शपथ-क

मेरा शपथ इसी प्रकार है कि मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी मिठाई मुख्यालय के  
आयु २९ वर्ष जो ओपीमाला, बालानी, पो. मैट्टू  
सीटोंगाड़, भाना, मुजाहिद गांजा,  
पटना-८११००६ (ज़िले का  
पूरा पता लिखे) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता  
हूँ कि मैं शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

(१) मैं अपने दल के लिए दल का नाम) द्वारा खड़ा  
किया गया अभ्यर्थी/ \*\*एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा है।

\* (लागू न हो उसे काट दे)

(२) मेरा नाम 18B. मुख्यालय (निवासन क्षेत्र और संव्य का नाम) में भाग सं  
१५२ के क्रम सं १४९ पर प्रविष्ट है।

(३) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 8271617607 है/है और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) \_\_\_\_\_  
X है।

(४) स्थाई लेखा संख्याक (प्रभा) के ल्यौरे और आध-कर विवरणी फाइल करने की प्रारिष्ठति :

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए आतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)




1.	स्वयं	AGDPA02097	२१५-४	२१५-४
2.	खति या पल्ली	eJVP556557	२१५-४	२१५-४
3.	आश्रित-1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	आश्रित-2	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	आश्रित-3	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(६) मैं ऐसे किसी लघित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं। लागू नहीं

यदि अभिसरक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निभालिखित जनकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी :-

(i) निभालिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लघित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं राहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण व्यौरे	<u>लागू नहीं</u> D.
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	<u>लागू नहीं</u> D.
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	<u>लागू नहीं</u> D.
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विवरणों की गई	<u>लागू नहीं</u> D.
(ङ)	तारीख (तारीखों) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	<u>लागू नहीं</u> D.
(च)	वह सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई	<u>लागू नहीं</u> D.



		बोगू न/द
--	--	----------

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लिखित हैं/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है पूर्वोक्त


मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्नः:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	बोगू बहा
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	बोगू बहा
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए काइल की गई अपील (अपीलों) / आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	बोगू बहा

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है : बोगू बहा छोटा

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा।

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	बोगू बहा
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	बोगू बहा



(ग)	अधिरोपित दंड	लोगू नहीं टॉप्पा
(घ)	व्या सिद्धदेश ठहराने के आदेश के विलङ्घ कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हाँ, तो अपील के ब्यौरे और दर्तगान प्राप्तिः	लोगू नहीं टॉप्पा

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और रथावर आदि) के ब्यौरे जीवे देता हूँ।

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की जमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 – जमा/विनिधान की दशा में रकम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 – सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में वंधपत्रों/शेयर डिवेंचरों का मूल्य रटॉक एक्सचेंजों में चालू बजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखावहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 – यहाँ आश्रित का वही अर्थ है, जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन रपटीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 – रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं	विवरण	संवय	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i)	हाथ में नकरी	60,500	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	122 कौण्ठ 345 60211 42011 8152	122 कौण्ठ 345 60211 42011 500/-	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00
(iii)	कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में वंधपत्रों/ डिवेंचरों/ शेयरों तथा यूनिटों	शून्य	शून्य	लोगू नहीं	लोगू नहीं	लोगू नहीं



	में विनिधान के ब्यौरे और रकम	५	८	५	५	८
--	---------------------------------	---	---	---	---	---


(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, दीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या दीमा कंपनी में किसी वित्तीय तिखतों में विनिधान और रकम	२५८४	२५८४	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू जहाँ
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें कर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	२५८४	२५८४	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू जहाँ
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/ पोत (ग्रेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रम करने का वर्ष और रकम)	मालूम प्राप्ती ४८८८ ४८८८	८०५८/८०५ BR01 BH ५९९८	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू जहाँ
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएँ) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	लागू नहीं	२०००००/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू जहाँ
(viii)	कोई अन्य आरितयों जैसे कि दावों/हित का गूल्य	२५८४	२५८४	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ix)	समग्र कुल मूल्य	१६०,८००	४००,५००/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

आ. स्थावर आरितयों के ब्यौरे

टिप्पण 1— संयुक्त स्वाभित्व की रैमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आरितयों का भी विवरण  
दिया जाना है।

टिप्पण 2— प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथक्तया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवधिति (अवधितिया) रावेक्षण संख्याक (संख्याएँ) क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	२५८४	२५८४	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति	५	५	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
		२५८४	२५८४	लागू नहीं	लागू नहीं	२५८४



	१.	२.	३.	४.	५.
है (हां या नहीं)	वाल्य	वाल्य	वाल्य	वाल्य	वाल्य
स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	वाल्य	वाल्य	वाल्य	वाल्य	वाल्य
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	वाल्य	वाल्य	वाल्य	वाल्य	वाल्य
विकास, संनिमाण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	वाल्य	वाल्य	X	X	X
अनुमानित चालू बाजार मूल्य	वाल्य	वाल्य			
(ii) गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	वाल्य	वाल्य	X	X	X
क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	वाल्य	वाल्य	X	X	X
क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	वाल्य	वाल्य	X	X	X
स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	वाल्य	वाल्य	X	X	X
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	वाल्य	वाल्य	X	X	X
विकास संनिमाण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	वाल्य	वाल्य	X	X	X
अनुमानित चालू बाजार मूल्य	वाल्य	वाल्य	X	X	X
(iii) विणियोगिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	वाल्य	वाल्य	X	X	X
क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	वाल्य-२०	वाल्य-२१	X	X	X
लिंगित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	वाल्य	वाल्य	X	X	X
क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	वाल्य	वाल्य	X	X	X
स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	वाल्य	वाल्य	X	X	X
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	वाल्य	वाल्य	X	X	X
विकास, संनिमाण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	वाल्य	वाल्य	X	X	X
अनुमानित चालू बाजार मूल्य	वाल्य	वाल्य	X	X	X



(IV)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) रावेशण राष्ट्रांक (संख्याएँ)	<i>२१०५</i>	<i>२१०५</i>	<i>✓</i>	<i>✗</i>	<i>X</i>
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल भाष्य) निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल भाष्य)	<i>२१०५</i>	<i>२१०५</i>	<i>✓</i>	<i>✗</i>	<i>X</i>
	क्षय विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	<i>२१०५</i>	<i>२१०५</i>	<i>✓</i>	<i>✗</i>	<i>X</i>
	स्वअंजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	<i>२१०५</i>	<i>२१०५</i>	<i>✓</i>	<i>✗</i>	<i>X</i>
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	<i>२१०५</i>	<i>२१०५</i>	<i>✗</i>	<i>✗</i>	<i>X</i>
	विकास, सन्निमार्ण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	<i>२१०५</i>	<i>२१०५</i>	<i>✗</i>	<i>✗</i>	<i>X</i>
	अनुमानित चाल वाजार मूल्य	<i>२१०५</i>	<i>२१०५</i>	<i>✓</i>	<i>✗</i>	<i>X</i>
(V)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	<i>२१०५</i>	<i>२१०५</i>	<i>✗</i>	<i>✗</i>	<i>X</i>
(VI)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चाल वाजार मूल्य	<i>२१०५</i>	<i>२१०५</i>	<i>✗</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>

(g) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के बारे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के संगकरण के बारों का पृथक् विवरण दें)

क्र० सं०	दिवरण	रखय	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ज्ञान या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	<i>५०००००</i> <i>३०००००</i> <i>६०००००</i> <i>३०००००</i>	<i>Keluk Nehindes 100,000 3,00,000</i>	<i>✓</i>	<i>✗</i>	<i>X</i>
	पूर्वोक्त वर्णन से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	<i>२१०५</i>	<i>२१०५</i>	<i>✓</i>	<i>✗</i>	<i>X</i>
	कोई अन्य दायित्व	<i>२१०५-१</i>	<i>१००००</i>	<i>✓</i>	<i>✗</i>	<i>✗</i>
	दायित्ववाले का कुल योग	<i>६०,०००</i>	<i>५०,०००</i>	<i>✗</i>	<i>✗</i>	<i>✗</i>



(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आयास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	जाहु बहु लाइ नहर	
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	X	X
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	X	X
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	X	X
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	X	X
	आय-कर शोध्य	शून्य	शून्य	X	X
	धनकर शोध्य	शून्य	शून्य	X	X
	रेवाकर शोध्य	शून्य	शून्य	X	X
	नगरपालिका / संपत्ति कर शोध्य	शून्य	शून्य	X	X
	विक्रयकर शोध्य	शून्य	शून्य	X	X
(iii)	कोई अन्य शोध्य	शून्य	शून्य	X	X
	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शून्य	शून्य	X	X
(iv)	क्या कोई अन्य दाखिला विवादाधीन है, यदि हो तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	X	X

(9) दृति या उपजीविका के बारे :

(क) स्वयं क्रम ३११७/३१८

(ख) पति या पत्नी ८५१-२२

(10) मेरी शैक्षिक अहंता नीचे दिये अनुस्तार है :-

इ०२८, इ०२८ निः०८८, भावी हज, ४२००, फ०१८ ०.००।

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्योरा दें)




मामूल

(11) मामूल के (1) से (10) तक में दिए गये बोरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/ श्रीमती/ कुमा० जा० ई० २०१८०८०			
2	डाक का पता	गोपीनाथादि कारबासी, पा० म० ८०८० आवा० रुक्षालालगं, पट्टना - ४८०००८			
3	निवाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा संज्ञ	१८३, नुस्खा० रिपारे रुक्षा० पट्टना, ७५१८८			
4	उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	पा० रुक्षा० ८०८०८०			
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारबास से दर्जनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरक्ति किए गए हैं।	ला० श० ७६०			
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से मिल)	ला० श० ७६०			
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धायोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारबास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमत्र 1951 की धारा ८ की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	ला० श० ७६०			
7		..... का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्जा०ता० आय	
	(क) अभ्यर्थी	८८०९९०२- ०५८	२६८८	३१८०	
	(ख) पति या पत्नी	८३८९९२६- ५५९	३१८८	३१८०	
	(ग) आक्रित	ला० श० ७६०	ला० श० ७६०	ला० श० ७६०	
8	आस्तियों और दायित्वों के बोरे (रूपये में)				
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आक्रित-1	आक्रित-2
क	जगत्तम आस्तिया (कुल गूत्य)	६०,०००/-	३,००,००/-	ला० श० ७६०	ला० श० ७६०
				ला० श० ७६०	ला० श० ७६०



ख	स्थावर आस्तियां					
7.	स्वअर्जित स्थावर संपति की क्रय कीमत	२५८८	२६०८	X	X	X
8.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागत हो)	२१८८	२१८८	X	X	X
9.	(i) निम्नलिखित की अनुगमन वर्तमान बाजार कीमत (क) स्वअर्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	३००८	३००८	X	X	X
10.	(i) दायित्व (ii) सरकारी शोध्य (कुल) (iii) वैक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	३८८८	३८८८	X	X	X
11.	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है (i) सरकारी शोध्य (कुल) (ii) वैक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	३८८८	३८८८	X	X	X
11.	उच्चतम शैक्षिक अहता :	४८८१५१५८				



(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का व्यौरे दें।)

### सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-करतु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग गिर्धा नहीं है तथा इसमें से कोई भी लातिक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे निरूद्ध उपर भाग के और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से मिल्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 9, 10 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से मिल्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 26/3/14 को सत्यापित किया गया।

*To identify the deponent  
Signature / L.T.I. who has  
affixed in my presence*

*Pukar Basu*  
अभिसाक्षी


टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह्न सेक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कगिश्नर या प्रथम दर्ग गजिरद्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी रत्नभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण - 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी रत्नभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर



लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी पद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त है, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूसरा सम्पर्क संख्या/संख्याएं है/हैं 827/6/7607  
मेरा ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है...jauher.azad@gmail.com  
एवं मेरा रोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है...91621

